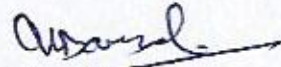


शुद्ध वर्तमान मूल्य (N.P.V) जमा करने के सम्बन्ध में
प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मुजफ्फरनगर—सहारनपुर मार्ग (एस0एच0-59) के कि0मी0 05.90 से कि0मी0 16.00 (प्रस्तावित किमी0 0.00 से किमी0 10.10) तक चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण कार्य में उपयोग में आने वाली वन भूमि जो 30.30 हे0 संरक्षित वन भूमि है, का शुद्ध वर्तमान मूल्य की धनराशि अदा करने हेतु उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण लखनऊ वचनबद्ध है। यदि एन0पी0वी0 मूल्य में भविष्य में कोई परिवर्तन होता है तो तदनुसार मूल्य जमा किया जायेगा।

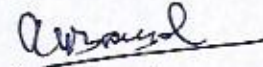


(ए0के0 बसल)

परियोजना महाप्रबन्धक (पश्चिम),
उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (उपशा),
क्षेत्रीय कार्यालय, मुजफ्फरनगर।

शुद्ध वर्तमान मूल्य (N.P.V) जमा करने के सम्बन्ध में
प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मुजफ्फरनगर-सहारनपुर मार्ग (एस0एच0-59) के कि0मी0 16.00 से कि0मी0 58.85 (प्रस्तावित किमी0-10.10 से किमी0-52.950) तक चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण कार्य में उपयोग में आने वाली वन भूमि जो 128.55 हे0 संरक्षित वन भूमि है, का शुद्ध वर्तमान मूल्य की धनराशि अदा करने हेतु उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण लखनऊ वचनबद्ध है। यदि एन0पी0वी0 मूल्य में भविष्य में कोई परिवर्तन होता है तो तदनुसार मूल्य जमा किया जायेगा।



(ए0के0 बंसल)

परियोजना महाप्रबन्धक (पश्चिम),
उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (उपशा),
क्षेत्रीय कार्यालय, मुजफ्फरनगर।